reasonable prices and by making additional irrigation and power facilities available to them was highlighted.

Denial of Selection Grade to T.G.Ts. Officiating in P.G.T. Grade in Delhi

33. SHRI BHAGWAT JHA AZAD:

Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 169 on 22nd July, 1974 regarding denial of selection grade to TGT's officiating in PGT grade in Delhi and state:

(a) whether the appeal filed by Delhi Administration against the judgment of the High Court referred to therein has since been decided and if so, whether a copy of the final judgment in the appeal will be laid on the Table of the House; and

(b) the action taken by Government in the light of the final judgment and the reasons for delay in taking action?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D P YADAV): (a) Yes S.r. A copy of the judgment is laid on the Table of the House. [*Placed in Library See* No LT-8440/74].

(b) A certified copy of the judgement was received in Delhi Administration only on 29th October, 1974 and the same is under their examination.

मध्य प्रदेश में उर्वरकों का वितरण

34. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि —

(क) क्या मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में उर्वरकों के उत्पादक नाइट्रोजन युक्त उवरक, विशेषकर यूरिया, उर्वरक के वितरण में कोई रुचि नहीं लेते हैं और वहां यूरिया उर्वरकों के प्रमुख वितरक श्रीराम केमिकल्स और गुजरात राज्य उर्वरक, निगम उस क्षेत्र में यातायात की कठिनाईयों के कारण उर्वरकों के वितरण में कोई रुचि नहीं लेते हैं ।

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम से वर्ष 1973 में मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में उर्वरकों का वितरण करने के लिये अनुरोध किया था ;

(ग) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(घ) क्या निर्णय लेने में बीच सरकार का विचार पूर्वी क्षेत्रों के निकट स्थित गोरखपुर, सिंदरी और कानपुर उर्वरक कारखानों में रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री

(श्री प्रभुदास पटेल) : (क) भारत सरकार के पास ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी कि जिन उर्वरक निर्माताओं ने मध्य प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट मात्रा में उर्वरकों का वितरण करना है, वे परिवहन की लागत अधिक होने के कारण उन्हें राज्य के पूर्वी जिलों में भेजने से कतरा रहे हैं ।

(ख) और (ग) : सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम से मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में उर्वरक बेचने के लिये विशेष रूप से कोई अनुरोध किया हो। तथापि जब राज्य सरकार ने भारत सरकार के ध्यान में यह बात लाई कि मैसर्स इंडियन एक्सप्लोसिव्स लि०, कानपुर, मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी और मैसर्स श्रीराम केमिकल्स राज्य के पूर्वी जिलों में उर्वरकों

का वितरण करने के इच्छुक नहीं हैं, तो भारत सरकार ने इन निर्माताओं और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलायी। इस बैठक में निर्माताओं को इस बात के लिये राजी किया गया कि वे उन्हें निर्धारित उर्वरकों का एक हिस्सा राज्य के पूर्वी क्षेत्रों में वितरित करेंगे।

(घ) राज्यों को जिन उर्वरकों का नियतन किया जाता है उनके राज्य के भीतर वितरण का काम सम्बन्धित राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाता है। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य को किये गये नियतन का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में उर्वरकों की मांग मुख्यतः खरीफ मौसम के दौरान है। अतः खरीफ 1974 के मौसम के दौरान इस राज्य को भारतीय उर्वरक निगम, दुर्गापुर, भारतीय उर्वरक निगम, सिन्दरी और इंडियन एक्सप्लोसिव्ज, लि० खानपुर से उर्वरकों का नियतन किया गया था। इस राज्य को भारतीय उर्वरक निगम, गोरखपुर से उर्वरकों का नियतन बिल्कुल नहीं किया गया था, क्योंकि यह राज्य रेलवे बोर्ड के परामर्श से तैयार किये गये तर्क-सम्मत वितरण क्षेत्र के भीतर नहीं आता। रबी मौसम के दौरान इस राज्य को मेसर्स इंडियन एक्सप्लोसिव्ज लि० और भारतीय उर्वरक निगम, सिन्दरी से उर्वरकों का नियतन किया गया है।

केन्द्रीय मंत्रियों के निवासों पर किया गया व्यय

35. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक केन्द्रीय मंत्रियों के निवासों पर (एक) उद्यान और लान आदि का रख-रखाव (दो) फर्नीचर और फर्निशिंग (तीन) विद्युत उपकरण (चार) भवन का रख-रखाव (पांच) आवास में अभिवृद्धि और फेरबदल तथा (छः) अन्य मदों पर कितना व्यय किया गया; और

(ख) वर्तमान आर्थिक संकट को देखते हुए चालू वर्ष में इनमें से प्रत्येक मद में सरकार ने कितने प्रतिशत कटौती करने का निर्णय किया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) कोई विशेष कटौती नहीं की गई है, लेकिन व्यय अत्यन्त न्यूनतम रखा गया है तथा केवल अनिवार्य कार्य ही किए जाते हैं।

Bagmati River Project

36. SHRI HARI KISHORE SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the progress of Bagmati river project;

(b) the total amount spent so far on that Project; and

(c) the time by which the project is likely to be completed?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHR KEDAR NATH SINGH): (a) The Bagmati Irrigation Project is in initial stages of construction. The left afflux bund from Indo-Nepal border to Sitamarhi Sheohar road has been taken up for construction in a length of 9 miles, of which 5.7 miles have been completed. Work on the right afflux bund upsteam of the Barrage has been taken up in a length of about 2 miles, of which one mile has been completed. Buildings at the Barrage site and other places have practically been completed. Approach road from Sitamarhi to Barrage site has also been mostly completed.